न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 125/2016

निर्णय दिनांक :- 9-5-20

श्री बलवीर पिता पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी सुबी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

--- वा

-: ब ना म :-

1- श्री भैरूलाल पिता पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी सुबी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

2- सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

--- प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार

उपस्थित :- 1- रोहीताश्व पंचोली एडवोकेट --- अभिभाषक वादी
2- प्रतिवादी की तरफ से --- एक तरफा कार्यवाही

--: निर्णय :--

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया जिस संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुबी पटवार सर्कल सुबी तहसील छोटीसादडी आराजी सं. 549 रकबा 0.04 हेक्टर बंजड जिसे बबुल वाला बाडा के नाम से जाना जा हैं, प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। यह आराजी सं. 549 रकबा 0.04 हेक्टर पहले वा के पिता पृथ्वीराज पिता कनीराम जी जाट के नाम पर था। वादी के पिता ने दिनां 24-6-97 को एक रजिस्टर्ड वसीयत पत्र तरतीब कर अपनी अराजी का बटवारा कर दि था। वसीयत अनुसार वादग्रस्त बाडा वादी को दिया गया था। वादी ने वाद में यह भ अंकित किया कि दिनांक 1-5-96 को व्यवस्था विलेख तरतीब किया गया, जिसके अनुसा बबुल वाला बाडा वादी को दिया गया। तब से यानी जून 1996 से वादी निरन्तर उक्त वा पर काबीज हेकर उसका उपयोग उपभोग बीना किसी रोक टोक के शान्तिपुर्वक करत चला आ रहा हैं। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने अन्य आराजी के साथ उक्त बबुल वाला बाड आ.सं. 549 रकबा 0.04 हेक्टर रेवेन्यु रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जबकी वादग्रस्त बाडे पर वादी 1996 से निरन्तर काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। इसलिये वादी को उक्त आराजी सं. 49 रकबा 0.04 हेक्टर बबुल वाले बाडे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने अपने वाद में यह भी अंकित किया कि वादग्रस्त जमीन पर उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं परन्तु जमीन की किमते बढ जाने से प्रतिवादी उक्त जमीन अपने नाम का फायदा उठा कर बाडे पर जबरन कब्जा करने के लिये चक्कर लगा रहा हैं व बेचान करने के लिये बाडा लोगो को लाकर दिखा रहा हैं। इसलिये प्रतिवादी को उक्त कार्य करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। वादी ने अपने अभिभाषक के जरिये एक सूचना पत्र धारा 80 सी.पी.सी. का मियादी दो माह का कलक्टर साहब प्रतापगढ़ को दिलवाया कि बबुल वाला बाडा आराजी सं. 549 रकबा 0-04 हेक्टर उसके पिता उसे दे गये हैं जिस पर वह काबीज हैं प्रतिवादी ने गलत अपने नाम दर्ज करवा लिया हैं। परन्तु उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर्ड किया
सं. 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया, परन्तु प्रतिवादीगण बावजुद तामील
हाजिर नहीं हुए इसलिये उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई
तथा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी बलवीर ने अपना शपथ पत्र व गवाह राम
मांगीलाल जाति मीना निवासी सूबी का शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर अ
तस्दीक कराये हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयत पत्र व व्यवस्था विलेख, नो
की रसीद व ए.डी. रसीद पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र खाते की नकल आदी पेश क
करा कर अपनी साक्ष्य बन्द की। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाह
प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई मोखीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्र
की। बहस अंतिम सुनी गई। दोराने बहस वकील वादी ने अपनी बहस में व
अंकित किये गये तथ्यो व वादी के व गवाह के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को द
न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 1 वसीयत पत्र व प्रदर्श 2 व्यवस्था विलेख की ओर दि
तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सं॰ 549 रकबा 0.04 हेक्टर जिसे ब
बाडा कहते हैं पर वादी का 1996 से कब्जा होकर वह उसका उपयोग व उपभोग
शान्तिपुर्वक बीना किसी बाधा के करता चला आ रहा हैं, तथा उक्त आराजी बाडा
पिता ने वादी को जरिये वसीयत व व्यवस्था विलेख के दिया हैं। जो प्रतिवादी
भली भाती जानकारी में हैं। इसलिये वादी को उक्त आराजी सं॰ 549 रकबा 0.0
बबुल वाले बाडे का खातेदार घोषित किया जावे, व उक्त आराजी बाडा प्रतिवादी
नाम से हटा कर वादी के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित फरमाया जावे।

वकील वादी की ओर से की गई बहस को ध्यान पुर्वक सुन कर पत्रावली
भाती अवलोकन कर पत्रावली पर मोजुद आई साक्ष्य व दस्तावेजो का गम्भीर
परिसीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं की आराजी सं॰ 549 रकबा 0.0
प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम पर दर्ज हैं उससे पहले उक्त आराजी बाडा पृथ्वीरा
कन्हैयाराम जी जाट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। जबकी वादी ने अपना श
न्यायालय में पेश कर शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को न्यायालय के समक्ष सही होना
किया हैं। वादी अपने शपथ पत्र में कहता हैं कि उसका वादग्रस्त आराजी सं॰ 54
0.04 हेक्टर जिसे बबुल वाला बाडा कहते हैं, पर 1996 से यानी करीब 21 सालो
अधिक समय से निरन्तर शान्ति पुर्वक बीना किसी अवरोध के कब्जा चला आ रहा
वही इस बाडे का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा हैं। उसके पिता यानी
पिता उक्त बबुल वाला बाडा उसे जरिये वसीयत से बटवारे में दे गये हैं तब से
कब्जा हैं तथा मेरे पिता अन्य आराजियात के बारे में एक व्यवस्था विलेख की 1
लिखा था जिसमें भी उक्त बाडा मुझ वदी को देना अंकित किया हैं। वसीयत पत्र प्र
व व्यवस्था विलेख प्रदर्श–2 के देखने से स्पष्ट हैं कि वसीयत की चरण सं॰ 7 मे
अंकित हैं कि " एक बम्बुल वाला बाडा मौजा सूबी में निम्न चतूरसीमा के मध्य स्थि
पुर्व में :– जीमलजाट का बाडा, पश्चिम में :– मांगीलाल का बाडा, उत्तर में – आम
व दक्षिण में :– शंकरलाल ब्राहम्ण का बाडा उकत खेहदी बीच का बाडा बलवीरसि
जाट के हक व हिस्से में रहगा"। इसी प्रकार व्यवस्था विलेख में तृतीय पक्ष बल
उसक पत्नी गीता उर्फ मोहनकुंवर को दी गई जायदाद में कालम 8 में स्पष्ट अंकित
"बबूल वाला बाडा पुरा" वादी के हिस्से में रहेगा का स्पष्ट अंकन है। उक्त दस्तावे
स्पष्ट हैं कि आ.सं. 549 रकबा 0.04 हेक्टर जिसे बबूल वाला बाडा भी कहते हैं वा
दिया गया हैं। इसकी पुष्टी उक्त दोनो दस्तावेजो से वादी के बयान से होती हैं।
उक्त व्यवस्था विलेख पर प्रविादी सं. 1 भैरूलाल के भी हस्ताक्षर हैं जिससे स्पष्ट
बबूल वाला बाडा वादी को दिया जाना तथा उस पर वादी का 1996 से कब्जा वादी क

होना प्रतिवादी सं. 1 की भली भांति जानकारी में रहा है। इसके अलावा गवाह रा
मीना ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित किया हैं कि वादग्रस्त बबूल वाले बाडे पर
का करीब 21 सालो से कब्जा देखता चला आ रहा हैं वादी ही उसका उपयोग व उ
करता हैं। प्रतिवादी का इन 21 सालो में कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं ना गवाह ने देख
जिससे स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त वाडे पर कभी भी काबीज नहीं रहा है,
वसीयत पत्र व व्यवस्था विलेख के अनुसार प्रतिवादी का उसमें कोई हक व हिस्सा न
ना वह प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

हालांकी पृथ्वीराज की मृत्यु सितम्बर 2011 में हुई हैं। इस दोरान पृथ्वीराज ने
नई व्यवस्था कर विलेख लिखा हो या नई वसीयत की हो इस कोई प्रमाण पत्रावल
मोजुद नहीं है ना इस तरह के कोई दस्तावेज प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश किये
हैं। इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत मा.ीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डीत रहे
पत्रावली पर एसा कोई साक्ष्य मोजुद नहीं हैं कि प्रतिवादी उक्त बबूल वाले बाडे का
हो या उसका उस पर कब्जा हो बल्की उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि आराजी सं.
रकबा 0.04 हेक्टर वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की हैं तथा उसका उस पर 19
कब्जा चला आ रहा हैं। इसलिये वादी उक्त आराजी आराजी सं. 549 रकबा 0.04
बबूल वाले बाडे का स्वामी व खातेदार घोषित कराने का अधिकारी पाया जाता हैं तथा
प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप वादी का वाद प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर
को आराजी सं. 549 रकबा 0–04 हेक्टर जिसे बबूल वाला बाडा भी कहा जाता ह
स्वामी व खातेदार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषे
से पाबन्द किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराज
549 रकबा 0.04 हेक्टर बबूल वाले वाडे पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नही
वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे वादी के बाडे के उपयोग उपभोग में र
पैदा नहीं करे ना ही उक्त बाडे को किसी अन्य को बेचान नहीं करे ना अन्य तर
हस्तान्तरण करे। प्रतिवादी सं. 2 को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि वह राजस्व रेका
से आराजी सं. 549 रकबा 0.04 हेक्टर को प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हटा कर वाद
तन्हा नाम पर दर्ज कर कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करावे। उरोक्त अ
डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09 – 05– 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी